न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 43/2021

सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 रामरख, जाति ब्राह्मण, निवासी चनाना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

—– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) चिडावा।

—– रेस्पोडेन्ट

—–

[illegible] निर्णय दिनांक 20.04.2021 सरकार बनाम सुभाषचन्द्र पुत्र रामरख, मुकदमा नम्बर 43/2021

—–

उपस्थित :–

1. श्री [illegible] शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री [illegible] कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 के [illegible] की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट को एक नोटिस सुभाषचन्द्र न्यायालय [illegible] चिडावा से एक नोटिस राजस्थान लैण्ड रेवन्यू अधिनियम धारा 1956 की 1991 के अधीन प्राप्त [illegible] नोटिस ग्राम चनाना स्थित भूमि खसरा संख्या 496 कुल रकबा 4.79 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम [illegible] चारदीवारी, एक दुकान व दो मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को नोटिस [illegible] ने नोटिस दिनांक 15.04.2021 मे तामिल करवाया गया जिसके पश्चात् अपीलान्ट 16.04. [illegible] मे उपस्थित होकर अपीलान्ट ने अपनी ओर से अपीलान्ट अपना वकील नही कर सका। [illegible] ने न्यायालय से निवेदन भी किया कि उसे वकील नियुक्त कर जबाब पेश करने का मौका दिया [illegible] तहसीलदार साहब ने कहा कि मैं जल्दी फैसला करूंगा। अपीलान्ट ने दिनांक 20.04.2021 [illegible] होकर निवेदन किया कि अभी कोविड काल मे कोई वकील कोर्ट मे नही आ रहे है और [illegible] कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सहित राजस्व न्यायालयों मे भी काम अभी नही हो रहा। किन्तु तहसीलदार साहब [illegible] आपको जो कुछ लिखकर देना है आप अपनी तरफ से खुद ही लिखकर दे दीजिए। अभी [illegible]। कोविड संक्रमण हटने के बाद जब कोर्ट खुलेगें तब आप अपना वकील नियुक्त करके [illegible] इस पर अपीलान्ट ने 20.04.2021 को अपने बिजली, पानी की बिल फोटोकॉपी सहित प्रार्थना [illegible] के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था और 20.04.2021 को ही रेस्पोडेन्ट ने आदेश जारी कर दिया [illegible] गैर मुमकीन नदी है जो माननीय न्यायालय की रिट संख्या 1536/2003 जो अब्दुल [illegible] राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर अतिक्रमी को [illegible] प्राप्त नही है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैरसायल को उक्त [illegible] पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली का आदेश दिया जाता है। प्रकरण मे [illegible] 496 के खातेदार अपीलान्ट का पिता रामरख पुत्र बलदेवदास रहे है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि [illegible] नाबालिग शाश्वत गोपीनाथ का पुजारी रहा। प्रार्थी को अपने पैतृक काल से जो राजस्थान [illegible] अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही पैतृक उक्त भूमि प्राप्त हुई। उक्त भूमि के संबंध मे [illegible] अधिकारी झुंझुनूं द्वारा अप्रार्थी के हक मे निर्णय डिकी भी जारी की गई है। उक्त निर्णय [illegible] भांति साबित है कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अतिकमी नही है तथा साथ ही

[illegible] के प्रभाव मे आने से पूर्व तथा उसके बाद भी अप्रार्थी उक्त भूमि का अवैध अतिक्रमी [illegible] रहा है। अपील वर्णित भूमि खसरा संख्या 496 ठाकुर बाघसिंह जी ने अपीलान्ट के [illegible] वल्द बलदेव कौम ब्राह्मण साकिन चनाना को काश्त हेतु बताई थी और यह भूमि [illegible] हैसियत बनी उससे पहले ही रामरख वल्द बलदेव के कब्जे काश्त मे थी। स्व0 [illegible] अपीलान्ट के पिता थे जो काश्तकार पेशा व्यक्ति थे। इसके साथ ही खाली समय मे [illegible] व पूजा–अर्चना करवाते थे। वे पण्डितजी के नाम से प्रसिद्व थे। रामरख के देहान्त [illegible] उक्त भूमि को काश्त करता आया व ठिकाने के समय से व अपीलान्ट अपने पिता [illegible] ने ही पटवारी हल्का रिपोर्ट मे वर्णित जगह पर ही जो अतिक्रमण बताया है। उक्त [illegible] उक्त स्थान पर 60 साल से पूर्व से ही बनी हुई है। राजस्व रिकार्ड मे संवत् 2017 से [illegible] 1980 तक उक्त भूमि अपीलान्ट व उसके परिवारजनों के नाम से टिनेन्सी कायम रही [illegible] को 48 रूपये 45 पैसे कायमशुदा लगान भी अदा करते रहे। 1980 मे भूमि का [illegible] अधिकारियों व कर्मचाारियों ने सहवन से इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे मूर्ति [illegible] कर दिया। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक अधिकार नही था। अपीलान्ट [illegible] ने बृजनसिंह पुत्र रामूराम, जाति जाट, निवासी चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं [illegible] फेण्ड मूर्ति मंदिर गोपीनाथजी वाके ग्राम चनाना राजस्व रिकार्ड का फायदा [illegible] व स्थाई निषेधाज्ञा का किया जिसमे अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। [illegible] 23.11.2001 को सहायक कलक्टर साहब, झुंझुनूं द्वारा निर्णय किया गया जिसके पश्चात् [illegible] प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2001 को पेश करने पर खसरा संख्या 496 रकबा 4.24 [illegible] खसरा संख्या 496 की खातेदारी प्रदान की गई। उक्त निर्णय की अपील दस वर्ष बाद [illegible] 09.08.2010 को न्यायालय आर डबल ए साहब ने अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक [illegible] कर कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया [illegible] वकील नही है तथा पक्षकार ने पत्रावली ले ली और बहस नही की गई। लिखकर [illegible] चिडावा की ओर से राजकीय अधिवक्ता को सुनकर निर्णय पारित कर दिया जिसकी [illegible] से विधि के विरूद्व है क्योंकि आर डबल ए साहब ने जो निर्णय किया वह दिनांक [illegible] सहायक कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय व डिकी को खारिज करते हुए किया जबकि [illegible] के निर्णय के पश्चात् पुर्ननिरीक्षण निर्णय दिनांक 12.01.2002 को श्रीमान् न्यायालय [illegible] साहब, झुंझुनूं ने पुनः पारित कर दिया था। ऐसे मे 12.01.2002 के पुर्ननिरीक्षण निर्णय मे [illegible] निर्णय मर्ज हो गया। जब 23.11.2001 का निर्णय ही नही रहा तो उसके विरूद्व निर्णय [illegible] औचित्य नही था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट इसमे किसी भी [illegible] की परिभाषा मे नही आता क्योंकि उक्त खसरे मे जिस जगह की पटवारी हल्का की [illegible] साबित है कि अपीलान्ट वहां पर मकान बनाकर आबाद है और उक्त मकानों के विघुत [illegible] के कनेक्शन भी जारी किये गये है। राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड से भी पूर्ण रूप से [illegible] अपीलान्ट अपने दादा के समय से भूमि मे काश्त कर रहा है तथा वहीं पर मकान बनाकर [illegible] अपीलान्ट अपने दादा के समय से ही उक्त स्थान पर निवास करता आया है। किसी भी [illegible] नही है। खसरा संख्या 496 मे उसके दादा के नाम खातेदारी रही और सेटलमेन्ट मे [illegible] कर दी गई जिसके पश्चात् माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय मे उनको खातेदारी भी [illegible] जिसकी चाराजोही अपीली न्यायालयों मे लम्बित है। ऐसे मे भी प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से [illegible] के हक मे है। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक [illegible] स्थिति के विपरीत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट सुभाषचन्द्र पुत्र रामरख पैतृक रूप से [illegible] भूमि पर बिना किसी बाधा के निवास करता आ रहा है। उक्त विवादित भूमि व मकान के [illegible] अपीलान्ट के पास और कोई भूमि व मकान नही है। अगर उक्त विवादित भूमि व मकान से [illegible] निकाला जाता है तो अपीलान्ट बर्बाद हो जायेगा। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 [illegible] जावे।

[illegible] अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज सूची किता 5 पेश [illegible] अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन [illegible] खसरा संख्या 496 के खातेदार अपीलान्ट का पिता रामरख पुत्र बलदेवदास रहे है तथा

[illegible] काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व से ही पैतृक उक्त भूमि प्राप्त हुई। उक्त [illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं द्वारा अप्रार्थी के हक मे निर्णय डिकी भी जारी की गई [illegible] व डिकी से भी भली–भांति साबित है कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार से अतिकमी नही है [illegible] काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व तथा उसके बाद भी अप्रार्थी उक्त भूमि का [illegible] किसी प्रकार नही रहा है। अपील वर्णित भूमि खसरा संख्या 496 ठाकुर बाघसिंह जी ने [illegible] पिता स्व0 पंडित रामरख वल्द बलदेव कौम ब्राह्मण साकिन चनाना को काश्त हेतु बताई थी [illegible] संवत् 1999 की मिसल हैकियत बनी उससे पहले ही रामरख वल्द बलदेव के कब्जे काश्त मे [illegible] वल्द बलदेव अपीलान्ट के पिता थे जो काश्तकार पेशा व्यक्ति थे। इसके साथ ही खाली [illegible] शादी–विवाह व पूजा–अर्चना करवाते थे। रामरख के देहान्त के पश्चात् अपीलान्ट उक्त [illegible] करता आया व ठिकाने के समय से व अपीलान्ट अपने पिता रामरख के जीवनकाल मे ही [illegible] रिपोर्ट मे वर्णित जगह पर ही जो अतिक्रमण बताया है। उक्त मकान व चारदीवारी उक्त [illegible] साल से पूर्व से ही बनी हुई है। राजस्व रिकार्ड मे संवत् 2017 से लेकर सेटलमेन्ट सन् 1980 [illegible] अपीलान्ट व उसके परिवारजनों के नाम से टिनेन्सी कायम रही और राजस्थान सरकार को [illegible] कायमशुदा लगान भी अदा करते रहे। 1980 मे भूमि का सेटलमेन्ट हुआ तो भूप्रबन्धक [illegible] कर्मचारियों ने सहवन से इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे मूर्ति मंदिर के नाम से अंकित कर [illegible] सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक अधिकार नही था। अपीलान्ट के विरूद्व सन् 2001 मे [illegible], जाति जाट, निवासी चनाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान ने जरिये [illegible] मंदिर गोपीनाथजी वाके ग्राम चनाना राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर दावा घोषणार्थ व [illegible] का किया जिसमे अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 23.11.2001 [illegible] कलक्टर साहब, झुंझुनूं द्वारा निर्णय किया गया जिसके पश्चात् अपीलान्ट की पुर्नरक्षण प्रार्थना [illegible] 31.12.2001 को पेश करने पर खसरा संख्या 496 रकबा 4.24 हैक्टर अपीलान्ट को खसरा [illegible] की खातेदारी प्रदान की गई। उक्त निर्णय की अपील दस वर्ष बाद जिसकी अपील बदिनांक [illegible] को न्यायालय आर डबल ए साहब ने अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक के लिए यह तथ्य दर्ज [illegible] रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि इस प्रकरण मे वह [illegible] पक्षकार ने पत्रावली ले ली और बहस नही की गई। लिखकर मात्र तहसीलदार चिडावा [illegible] अधिवक्ता को सुनकर निर्णय पारित कर दिया जिसकी चाराजोही जो पूर्ण रूप से [illegible] है क्योंकि आर डबल ए साहब ने जो निर्णय किया वह दिनांक 23.11.2001 के विद्वान [illegible] झुंझुनूं के निर्णय व डिकी को खारिज करते हुए किया जबकि दिनांक 23.11.2001 के [illegible] पुर्ननिरीक्षण निर्णय दिनांक 12.01.2002 को श्रीमान् न्यायालय सहायक कलक्टर साहब, [illegible] पारित कर दिया था। ऐसे मे 12.01.2002 के पुर्ननिरीक्षण निर्णय मे 23.01.2001 का निर्णय [illegible] जब 23.11.2001 का निर्णय ही नही रहा तो उसके विरूद्व निर्णय करने का भी कोई विधिक [illegible] था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट इसमे किसी भी प्रकार से अतिक्रमी की [illegible] आता क्योंकि उक्त खसरे मे जिस जगह की पटवारी हल्का की रिपोर्ट है उससे यह साबित [illegible] अपीलान्ट वहां पर मकान बनाकर आबाद है और उक्त मकानों के विघुत कनेक्शन व पानी के [illegible] जारी किये गये है। राजस्व रिकार्ड व अन्य रिकार्ड से भी पूर्ण रूप से साबित है कि अपीलान्ट [illegible] के समय से भूमि मे काश्त कर रहा है तथा वहीं पर मकान बनाकर आबाद है। प्रार्थी/अपीलान्ट [illegible] के समय से ही उक्त स्थान पर निवास करता आया है। किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही है। [illegible] 496 मे उसके दादा के नाम खातेदारी रही और सेटलमेन्ट मे मुर्ति मंदिर दर्ज कर दी गई [illegible] माननीय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय मे उनको खातेदारी भी प्रदान की गई। जिसकी [illegible] न्यायालयों मे लम्बित है। ऐसे मे भी प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से मुकदमा प्रार्थी के हक मे [illegible] हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक रंजिशवंश मौका स्थिति के [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलान्ट सुभाषचन्द्र पुत्र रामरख पैतृक रूप से उक्त विवादित भूमि पर बिना [illegible] के निवास करता आ रहा है। उक्त विवादित भूमि व मकान के अलावा अपीलान्ट के पास और [illegible] व मकान नही है। अगर उक्त विवादित भूमि व मकान से अपीलान्ट को निकाला जाता है तो [illegible] बर्बाद हो जायेगा। अन्त मे वकील अपीलान्ट ने कथन किया निर्णय दिनांक 20.04.2021 मे [illegible] मातहत ने अपने निर्णय मे विवादित भूमि किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर गै0मु0नदी अंकित कर [illegible] किया जो सरासर गलत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय [illegible] चिडावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क [illegible] दिया कि विवादित भूमि की मंदिर खातेदारी की है जिस पर अपीलान्ट को चारदीवारी, एक दुकान व [illegible] बनाकर अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। मंदिर खातेदारी भूमि का केयर–टेकर तहसीलदार [illegible] सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 [illegible] के बिन्दू सं0 5 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी [illegible] में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय [illegible] अतिक्रमण के विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरंक्षण हेतु दायित्वाधीन होगें। अदालत [illegible] का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम [illegible] भूमि खसरा नम्बर 496 कुल रकबा 4.79 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.07 हैक्टर पर [illegible] है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार है यथा :–

[illegible] का तर्क है कि विवादित आराजी की बाबत सहायक कलक्टर झुंझुनूं के निर्णय व डिक्री [illegible] 23.11.2001 तथा इस निर्णय के पश्चात् पुर्ननिरीक्षण निर्णय दिनांक 12.01.2002 पारित हुये है। [illegible] डिक्री दिनांक 23.11.2001 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया परन्तु [illegible] दिनांक 12.01.2002 यथावत रहा है तथा अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2021 मे [illegible] भूमि किस्म बारानी प्रथम के स्थान पर गैर मुमकीन नदी अंकित कर निर्णय पारित किया है। [illegible] का यह तर्क सही है कि अदालत मातहत ने अपने आदेश में भूमि की किस्म का [illegible] की जगह "गैर मुमकीन नदी" किया है, प्रथम दृष्टया यह सहवन से हुई भूल प्रतीत [illegible] पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.03.2021 में अपीलान्ट को बारानी प्रथम भूमि पर [illegible] है। साथ ही अपीलान्ट का यह तर्क की सहायक कलक्टर झुंझुनू के पुर्ननिरीक्षण निर्णय [illegible] 12.01.2002 यथावत है तो वर्तमान में खातेदारी अपीलान्ट के नाम है ऐसा प्रमाण [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

[illegible] भूमि खसरा नम्बर 496 रकबा 4.79 हैक्टर अपनी कब्जे काश्त तथा खातेदारी में होना [illegible] है तो अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत द्वारा केवल 0.07 हैक्टर पर ही [illegible] की कार्यवाही क्यों की गई? इससे साफ है कि अपीलान्ट का उक्त विवादित आराजी पर पूर्ण [illegible] नहीं था। अपीलान्ट ने राजकीय खाते की भूमि पर चार दीवारी तथा दुकान बनाकर उसे [illegible] में काम लेने का विधि विरूद्ध कृत्य किया है। राजकीय भूमि पर किसी निजी व्यक्ति [illegible] कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील [illegible] किया जाना उचित नहीं समझते है।

[illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। [illegible] निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
25/8/21